HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR
-::- MEMORANDUM -::-

No. **C/2155** /
V-5-4/74 (All District)

Jabalpur, dated **6h May, 2019**

To,

The District & Sessions Judge,

Subject:- Non-vacation of Govt. and rented residential accommodations by Judicial Officers after transferred.

Ref. :- Registry Memo No. 640 dated 21-05-2018.

.....

As directed, in continuation of above referred Registry Memo on subject cited above, I am to apprise you that it has been brought to the notice of Registry that even after circulation of memo no. 489/475/1 (3) (71) Bhopal, dated 08-09-1971 issued by General Administrative Department of Govt. of M.P., many Judicial Officers posted in various Establishments in the State of Madhya Pradesh are not vacating Govt. residential accommodations, at previous place of posting, even after transfer, which is causing a great inconvenience and discomfort to successor Judicial Officers and also amounts to unauthorized possession of the Government Accommodation. Such act of a Judicial Officer is a clear violation of Rule 3 (1) (iii) of M.P. Civil Services (Conduct) Rules, 1965 amounting to misconduct, for which disciplinary action may be taken against the responsible Judicial Officers. In addition to this concerned Judicial Officers shall also, be liable for payment of penal rent as per existing Rules and other legal action may be initiated against them.

Therefore, as directed, while appending Memo 489/475/1 (3) (71) Bhopal, dated 08-09-1971 issued by General Administration Department of Government of M.P., I am to request you to re-circulate the same amongst the Judicial Officer posted in your District for strict compliance and to send acknowledgement of receiving the same from them, to this Registry.

6/5/19

(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 489/475/1 (3)/71 भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर, 197

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा शासकीय आवास गृहों को स्थानान्तर के बाद खाली न करना.

ऐसा देखने में आया है कि कई शासकीय सेवक, जो शासकीय आवास गृहों में रहते हैं, अपने स्थानान्तर की सूचना संबंधित अधिकारी
नहीं देते है और दूसरे स्थान पर चार्ज ग्रहण कर लेने पर भी पहले स्थान का शासकीय मकान अपने आधिपत्य में रखते है. कुछ मामलों में
ऐसा भी पाया गया है कि स्थानान्तर के बाद, शासकीय आवास गृह रखने की प्रार्थना अस्वीकृत हो जाने पर भी, वे शासकीय आवास गृहों
खाली नही करते. इस प्रकार का आचरण शासकीय सेवकों के लिए शौभनीय नही है. अतः सभी शासकीय सेवकों को यह स्पष्ट किया जाए
कि इस प्रकार के मामलों में न केवल उनसे मूलभूत नियम 45-ब के अन्तर्गत किराया वसूल किया जाएगा और उनसे आवास गृह खाली कर
के लिए न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी बल्कि इस प्रकार के कार्य को शासकीय सेवकों के आचरण नियमों के तहत दुराचरण माना जाएगा
उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

2. आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को शासन के उपर्युक्त अनुदेश से अवगत करा दें तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उप
प्रकरण की कार्रवाई अनिवार्य रूप से करें.

हस्ता./-
(हनुमन्त राव)
विशेष सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.
भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर, 19

क्रमांक 490/475/1 (3)/71

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
   सचिव, विधान सभा मध्यप्रदेश, भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर,
2. राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, म. प्र., भोपाल,
3. स्थापना अधिकारी/लेखाधिकारी/रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उपमंत्रियों एवं संसद सचिवों के निजी सचिव, निजी सहायक को सूचना के लिए
   आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एल. मुखर्जी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

Encl: Copy of guidelines. REGISTRAR GENERAL